# छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 21 मार्च, 2013 (फाल्गुन 30,1934)

समय 11:00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल,2011 से 31 मार्च,2012 तक की अवधि के लिए) **पटल पर रखेंगे.**

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2012-2013 के बजट की तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री,छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008 ) की धारा 43 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2011-12 (दिनांक 1 जुलाई,2011 से 30 जून,2012) **पटल पर रखेंगे.**

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य, बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा गोदाम निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

क्रमश: .... 2

निर्धारित समय

## 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घंटा (1) श्री रामविचार नेताम,तकनीकी शिक्षा मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि - अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक,2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (2) श्री अमर अग्रवाल,वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (3) श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा (4) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक,2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा (5) श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक,2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 20 मार्च,2013

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.